मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक –02–2022

क्रमांक एफ 12–07/2021/सत्रह/मेडि–1 :: जिला चिकित्सालय बड़वानी में नेत्र शिविर में चिन्हित नेत्र रोगियों के दिनांक 16.11.2015 से 23.11.2015 तक ऑपरेशन किये जाने के पश्चात 67 व्यक्तियों की नेत्र ज्योति समाप्त हो जाने की घटना के कारण डॉ. आर.एस. पलोड़ (सेवानिवृत्त दिनांक 30.11.2016), तत्कालीन नेत्र रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, बड़वानी को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के आदेश दिनांक 04.12.2015 के द्वारा निलंबित किया जाकर, आरोप–पत्रादि दिनांक 19.01.2016 को जारी किये जाकर उन पर निम्न आरोप अधिरोपित किया गया है :–

"यह कि दिनांक 16.11.2015 से 23.11.2015 के मध्य अंधत्व निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत नेत्र रोगियों के ऑपरेशन किये जाने के पूर्व इस संबंध में जारी दिशा–निर्देशों की आपके द्वारा अनदेखी करते हुए आवश्यक जांचें एवं अन्य तैयारियों में लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई। ऑपरेशन कक्ष का रखरखाव भी निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार नहीं किया गया, परिणामस्वरूप नेत्र रोगियों में संक्रमण की स्थिति निर्मित हुई। दिनांक 19.11.2015 से ही संक्रमित मरीज आपके पास आना प्रारंभ हो गये थे। समय रहते इनका उपचार न करने व उपयुक्त रैफरल संस्था में मरीज रैफर न करने से 67 मरीजों की नेत्र ज्योति समाप्त हो गई।"

2– डॉ. पलोड़ द्वारा उन्हें जारी आरोप–पत्रादि का प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत किया गया। डॉ. पलोड़ के प्रतिवाद उत्तर पर विषय विशेषज्ञ से अभिमत प्राप्त किया गया। डॉ. पलोड़ का प्रतिवाद उत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उनके विरूद्ध संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के आदेश दिनांक 02.11.2016 द्वारा विधिवत् विभागीय जांच संस्थित की गई। विभागीय जांचकर्ता अधिकारी एवं क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा अपना जांच प्रतिवेदन दिनांक 11.05.2018 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें जांचकर्ता अधिकारी द्वारा उन पर अधिरोपित आरोप प्रमाणित होना प्रतिवेदित किया गया।

3– अपचारी अधिकारी डॉ. पलोड़ को उपरोक्त विभागीय जांच प्रतिवेदन की प्रति भेजकर उन्हें अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। डॉ. पलोड़ द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 10.08.2018 को प्रस्तुत किया गया। डॉ. पलोड़ को प्रकरण में दिनांक 17.10.2018 को समक्ष में सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। समक्ष में सुनवाई के दौरान उनके द्वारा अभ्यावेदन में उल्लेखित तथ्यों के अतिरिक्त अन्य कोई नवीन तथ्य नहीं बताया।

4– उपर्युक्त विभागीय जांच प्रतिवेदन एवं डॉ. पलोड़ के उल्लेखित अभ्यावेदन पर विषय विशेषज्ञ का अभिमत प्राप्त किया गया, जो निम्नानुसार है :–

"निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि इन्फेक्शन के मरीज को आपरेशन

......2.....

कक्ष के बगल के कक्ष में भर्ती किया गया था। दिनांक 16.11.2015 से 18.11.2015 तक कुल 27 मोतियाबिंद ऑपरेशन किये गये, जिनमें से संक्रमण के रोगी 19.11.2015 को जिला चिकित्सालय में भर्ती किये गये, परन्तु दिनांक 19.11.2015 से 23.11.2015 तक कुल 59 मरीजों के मोतियाबिंद ऑपरेशन किये गये, यदि डॉ. पलोड़ द्वारा 19.11.2015 को संक्रमण के मरीज आने के पश्चात मोतियाबिंद ऑपरेशन को रोक दिया जाता, तो यह स्थिति निर्मित नहीं होती, यह कृत्य घोर लापरवाही का घोतक है।"

5— डॉ. पलोड के विरूद्ध जारी आरोप पत्रादि एवं विभागीय जांच प्रतिवेदन तथा डॉ. पलोड के अभ्यावेदन के संबंध में उप संचालक, अंधत्व निवारण शाखा से प्राप्त अभिमत से यह स्पष्ट है कि डॉ. पलोड द्वारा ऑपरेशन कक्ष के निर्धारित प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन किया जाना नहीं पाया गया एवं दिनांक 19.11.2015 को संक्रमण के मरीज आने के पश्चात भी मोतियाबिंद ऑपरेशन को नहीं रोककर दिनांक 19.11.2015 से 23.11.2015 तक काफी संख्या में मोतियाबिन्द ऑपरेशन किये जाना एवं संक्रमित मरीजों को समय पर उच्च संस्था को रेफर नहीं किया जाना पाया गया। इस प्रकार डॉ. पलोड द्वारा प्रकरण में गंभीर लापरवाही की जाना प्रमाणित पाया जाता है। उपरोक्त अंनतिम प्रशासकीय निर्णय पर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर के ज्ञाप क्रमांक 4658/32/2021/जी.एस., दिनांक 21.09.2021 द्वारा अपनी सहमति संसूचित की गयी है।

6— अतः राज्य शासन प्रकरण के समग्र तथ्यों पर विचारोपरांत एतद् द्वारा डॉ. आर.एस. पलोड (सेवानिवृत्त दिनांक 30.11.2016), तत्कालीन नेत्र रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय बड़वानी की मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 9 के अंतर्गत संपूर्ण पेंशन स्थायी रूप से रोकी जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सीमा डहेरिया)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क0 /एफ 12—07/2021/सत्रह/मेडि—1/ भोपाल दिनांक 11 /02/2022

प्रतिलिपिः—

1— विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।

2— निज सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

3— सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर की ओर उनके उल्लेखित सहमति ज्ञाप दिनांक 21.09.2021 के अनुक्रम में प्रेषित।

4— आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र. भोपाल।

.......3.....

5– संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल की ओर आदेश की उक्त प्रति विभाग की वेबसाइड पर अपलोड़ कराने हेतु।

6– महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।

7– क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग, इंदौर।

8- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बड़वानी।

9– डॉ. आर.एस. पलोड़ (सेवानिवृत्त दिनांक 30.11.2016), तत्कालीन नेत्र रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, बड़वानी, म.प्र.। इस संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के सहमति ज्ञाप क्रमांक 4658/32/2021/जी.एस., दिनांक 21.09.2021 की प्रति सलंग्न है।

10– आर्डर फोल्डर/स्थापना लिपिक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग